प्रकरण संख्या 284 सन 2017 हरदेवसिंह आदि। सुखराम आदि

212 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए (2)
26/2/18 वकुलाए फरीकैन उपण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 13/11/17 को विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act इस आशय का पेश किया कि सुन्दरसिंह पुत्र श्री बदनसिंह के कुल पांच पुत्र क्रमश: मेहरसिंह, केहरसिंह, शेरसिंह, दारासिंह, इन्द्रसिंह पुत्र हुए। श्री सुन्दर सिंह के दो विवाह हुए थे। श्री सुन्दर सिंह की प्रथम पत्नि का पैदा किया एक पुत्र चनणसिंह था जिसे हालांकि श्री सुन्दरसिंह की द्वितिय विवाह की पत्नि श्रीमति प्रताप कौर से पैदा हुए पुत्रों ने इसे सुन्दरसिंह का पुत्र होने से इन्कार किया परन्तु अब तक चली मुकदमेबाजी में विभिन्न न्यायालयों में चनण सिंह को सुन्दर सिंह का पुत्र होने के निर्णय को बहाल रखा है। इस प्रकार स्वर्गीय श्री सुन्दरसिंह के कुल 6 पुत्र होने का तथ्य स्वीकृत हुआ है। सुन्दर सिंह की स्व. अर्जित चक नं. 12JRK के ख. नं. 74/251 व 75/251 व चक नं. 9MOD के ख. नं. 61/268, 60/269, 60/268, 60/269, 59/268, 59/269 की कुल 41 बीघा कृषि भूमि थी। सुन्दर सिंह के पुत्रगण सर्व श्री चनणसिंह, मेहर सिंह, केहर सिंह, व शेरसिंह संयुक्त परिवार से पूर्व में अलग हो चुके थे जिनके नाम पिता ने अन्य कृषि भूमि भी आवंटित करवाई थी। ऐसे पुत्रों की हैसियत विभक्त पुत्रों की थी। श्री सुन्दरसिंह ने अपने शेष दो पुत्रों सर्व श्री	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Copy Not Official
Scanned by CamScanner

दारासिंह व इन्द्रसिंह के पक्ष में समान
विभाजन के आशय से स्वयं की आवंटित
कृषि भूमि कुल 41 बीघा की वसीयत
दिनांक 4/1/65 व 13/3/69 पंजीकृत करवाई।
जिनके आधार पर सर्वश्री दारासिंह व
इन्द्रसिंह के नाम इस भूमि के दिनांक
21/11/74 को प्रदत्त खातेदारी अधिकारों के
अनुसरण में बतौर खातेदार कृषक इन्तकाल
दर्ज हुआ। श्री सुन्दर सिंह की जिवित
अवस्था में श्री सुन्दर सिंह के पुत्रगण
सर्वश्री केहर सिंह मेहर सिंह, शेर सिंह,
ने अपने पिता सुन्दर सिंह, दारासिंह व
इन्द्रसिंह के विरुद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति
हेतु प्रश्नगत कृषि भूमि को पैतृक होना
मानकर व बसन्तसिंह से सुन्दर सिंह
को न्यायगत होने का कथन कर इस
कुल 41 बीघा भूमि में से 20 बीघा
10 बिस्वा भूमि का स्वयं को खातेदार
कृषक घोषित करवाना चाहा। ततपश्चात
श्री चनण सिंह के वारिसान संतकौर आदि
ने इस भूमि में अपना हक होना मानकर
चनण सिंह की मौत के पश्चात स्वयं को
उनका उतराधिकारी होना अभिकथित कर
बतौर प्रार्थीगण संयोजित होने का अनुतोष
चाहा। इन व्यक्तियों के आवेदन पर
चनण सिंह की पत्नि संतकौर व पुत्रगण
सर्वश्री मुखत्यार सिंह, जगतार सिंह मंगतराम
व मिठूराम को बतौर प्रार्थीगण संयोजित
किया गया। श्री सुन्दरसिंह की मृत्यु उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद की विचाराधीन अवस्था में हो गई। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 13/7/81 के द्वारा दारीसिंह व इन्द्रसिंह के पक्ष में सुन्दर सिंह के द्वारा निष्पादित वसीयतों को सही मानते हुए वाद निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण मेहरसिंह आदि ने अपील संख्या 121/81 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की जो निर्णय दिनांक 23/7/85 के द्वारा स्वीकार होकर वाद प्रार्थीगण डिक्री हुआ। यह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, राज० उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय तक बहाल रहा। प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 34 जो कि दारीसिंह व इन्द्रसिंह के विधिक उत्तराधिकारीगण है, अपने पूर्वज श्री सुन्दर सिंह के जीवन काल से ही काबिज चले आ रहे हैं व श्री सुन्दरसिंह की मृत्यु होने के पश्चात से एकल व निरपेक्ष तौर पर काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण न. 1 ता 14 जो कि सर्वश्री मेहरसिंह, केहरसिंह, शेर सिंह व चनण सिंह के वारिसान है, अथवा इनके पिताओं ने कभी भी जरिये प्रतिदावा अथवा संयुक्त वाद की जरिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं० 15 ता 34 को बेदखल करवाने का कोई अनुतोष नही चाहा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण सं० 1 ता 14 बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकार को सदैव खो चुके है व इन अधिकारों का सदा के लिए लोप हो गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 प्रार्थीगण

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

को प्रश्नगत कृषि भूमि की जबरन बेदखल कर स्वयं काबिज होने के लिए एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1ता 15 इस आशय का जारी फरमाया जावे कि वे कृषि भूमि चक नं. 12 JRK व 9 MOD कुल 51 बीघा को दीगर व्यक्तियों को रहन, बेचान अथवा अन्य प्रकार से अन्तरित करने, इस भूमि पर चले आ रहे प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त व धारणा से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने से एवं इस भूमि के उपयोग व उपभोग के अधिकारों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे। प्रार्थना-पत्र के साथ में शपथ-पत्र हरदेव सिंह, फोटो प्रति आदेश दिनांक 13/5/- जमाबन्दी चक 9 MOD सम्वत 2071-75 व चक 12 JRK सम्वत 2072 से 75, सम्वत 2055 से 2075, आदि पेश किए। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15/1/17 को अप्रार्थीगण नं. 1ता 5, 6ता 8, 11ता 15 की ओर से प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत कुल 51 बीघा कृषि भूमि की वसीयत दारासिंह व इन्द्रसिंह के पक्ष में किए जाने के सबूत का भार प्रार्थीगण पर है

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

माननीय उच्च न्यायालय राज० जोधपुर व माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अपने निर्णय में सुन्दर सिंह द्वारा की गई वसीयत को अवैध मानते हुए खारिज की जा चुकी है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को भी माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9।11।17 द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मिन अप्रार्थीगण व उनके पुर्वजों के नाम उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पुर्वजों के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उपरोक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। जिस पर मिन अप्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर अपने हक व हिस्सा अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन कि सुन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि में लगातार उनके काबिज रहने के कथन कतई गलत व मात्र प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए गलत दर्ज किए है। प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुर्वजों के नाम अपने हक व हिस्सा अनुसार 1।6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। जिसे मिन अप्रार्थीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 9।11।17 पारित किये जाने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कृषि भूमि को अपने हक व हिस्सानुसार कब्जा प्राप्त करने की विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 B राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थना-

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

पत्र खारिज किए जाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावे। जवाब की ताईद में शपथ-पत्र, जमाबंदी, फोटो प्रति राज. उच्च न्यायालय जोधपुर निर्णय दिनांक 8/10/2001, व फोटो प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली आदि पेश किए। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर दिनांक 16/11/17 को ता फैसला दावा कन्फर्म किए जाने व विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उक्त तर्क का खण्डन करते हुए तथा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र को खारिज किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन मनन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण जिस वसीयत के आधार पर अपना हक जता रहे हैं वह निरस्त हो चुकी है। हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। प्रार्थना-पत्र के निस्तारण में केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त किसके पक्ष में बनता है। वादग्रस्त भूमि जरिए विरासत अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, वसीयत निरस्त हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण दिनांक 16/11/17 को जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 26/2/18 को बहर इजलास सुनाया गया।

(signature)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.08 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: